म0 प्र0 रा0 मं0 ग्वालियर कैम्प कोर्ट रीवा, जिला–रीवा (म0 प्र0)

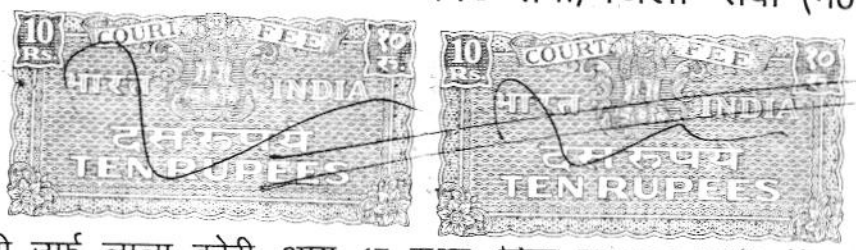

रामबहोरी उर्फ लाला कोरी, आयु 47 साल, पिता रामफल कोरी, निवासी ग्राम छादाखुर्द, थाना तहसील नौरोजाबाद, जिला–उमरिया (म0 प्र0)

—— निगरानी कर्ता

बनाम

सुनीता पति सरदार सिंह निवासी छादाखुर्द, थाना तहसील नौरोजाबाद, जिला–उमरिया (म0 प्र0)

—— उत्तरदाता

निगरानी विरूद्ध न्यायालय तहसीलदार महो0 नौरोजाबाद, जिला–उमरिया के रा0 प्र0 क्र0–03 /अ12/ 2010–2011 में पारित आदेश दिनांक 07.01.2011 एवं अपरा कलेक्टर महो0 उमरिया के रा0प्र0क्र0 67/निगरानी/2011 में पारित आदेश दि0 25.09.12

मान्यवर,

निगरानी कर्ता द्वारा पेश निगरानी का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, उत्तरदाता राजस्व रिकार्डो में भूमि खसरा नं0 411, 412 एवं 413 रकबा क्रमशः 0.295, 0.247, 0.324 हे0 स्थित ग्राम छादाखुर्द की भूमि स्वामी दर्ज रिकार्ड है, उत्तरदाता के नाम की भूमियों का सीमांकन कराने का आवेदन पत्र उत्तरदाता द्वारा नहीं दिया गया और न ही और न ही भारतीय स्टेट बैंक उमरिया में उत्तरदाता द्वारा भूमि खसरा नं0 411, 412, 413 स्थित ग्राम छादाखुर्द के सीमांकन बावत् सीमांकन शुल्क 480/–रु0 स्टेट बैंक उमरिया में जमा नहीं किया गया, बल्कि उत्तरदाता की नाम की भूमियों का सीमांकन कराने का आवेदन पत्र धनसाह यादव निवासी छादाखुर्द के द्वारा सीमांकन के

// 2 // क्रमशः

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ 2

प्रकरण क्रमांक- निग.-3659-दो/2012 जिला-उमरिया

रामबहोरी उर्फ लाला कोरी विरूद्ध सुनीता सिंह

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री पुष्पेन्द्र सिंह एवं अनावेदक की ओर से अभिभाषक श्री महेन्द्र सिंह उपस्थित। 3. यह निगरानी अपर कलेक्टर उमरिया, जिला- उमरिया के प्रकरण क्रमांक- 67/निगरानी/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 25-09-2012 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 17.10.2012 (Seventeen) को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथा संशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 5. कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित संभागीय आयुक्त है । अतः उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय	

23/01/19

में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर आयुक्त के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।

6. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण आयुक्त शहडोल संभाग, शहडोल को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 25-03-2019 को इस आदेश की सत्यापित प्रतिलिपि लेकर आयुक्त शहडोल के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

7. उक्त कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख आयुक्त शहडोल के न्यायालय में भेजा जाये ।

8. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन)
सदस्य
23/01/19